न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 23 / 2023

1 महीपाल पुत्र भागीरथ, आयु 70 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 सुनिल कुमार पुत्र मदन सिंह आयु वयस्क
2 नरसिंह पुत्र मदन सिंह आयु वयस्क
3 सुमित्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह आयु वयस्क
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम काजला, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना दावा उनवानी महीपाल बनाम सुनिल कुमार वगैरह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 208 / 2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 208/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम काजला में खसरा नम्बर 258 रकबा 0.99 हैक्टेयर में एक कूप/चाह बना है इसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ जाने के कारण अपीलान्ट को कूप/चाह एंव विद्युत कनेक्शन में हिस्सा देने से इंकान कर रहे है। जिससे अपीलान्ट को फसल काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा अपूर्णय क्षति हो रही है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। दिनांक 18.08.2022 को विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई तथा वाद वादी खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 258 की भूमि का विभाजन मु.नं. 144/2013 बउनवानी सुमित्रा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

देवी बनाम सुनिल कुमार वगैरह में निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 के द्वारा राजीनामा के आधार पर हो चुका है। इस प्रकरण में खसरा नम्बर 258 में बने कूप/चाह में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया था। मु.नं. 144/2013 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ तथा वर्तमान में भी उसकी सम्पूर्ण खातेदारी अविभाजित खसरा नम्बर 258 रकबा 0.99 ही है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलान्ट खसरा नम्बर 258 में बने कूप/चाह में पानी सूखने के बाद अपीलान्ट ने उसमें बोरिंग करवाना चाहा परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मना कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नया ट्यूबवेल बनाने पर सहमत हुये। नये ट्यूबवेल में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने शामिल होने से इंकार कर दिया। इस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नया ट्यूबवेल का निर्माण खसरा नम्बर 258 की भूमि में कर लिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 258 की भूमि में बने ट्यूबवेल में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने आपसी सहमति से खसरा नम्बर 258 में बने पुरोन कूप/चाह के स्थान पर नया ट्यूबवेल बना लिया तथा उसमें विद्युत कनेक्शन भी पुराने कूप/चाह में लगा हुआ विद्युत कनेक्शन ही स्थापित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति से ही पुराने कूप/चाह के स्थान पर नया ट्यूबवेल बनाया है तथ इसी ट्यूबवेल से दोनों पक्ष आज काश्त करते आ रहे है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कूप/चाह को खसरा नम्बर 258/4 रकबा 0.01 में तथा नये ट्यूबवेल को खसरा नम्बर 258/3 में बताता है जबकि वर्तमान में भी खसरा नम्बर 258 की भूमि आज भी अविभाजित है तथा उसका रकबा 0.99 हैक्टैयर है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2022 में वाद वादी पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया है जबकि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2022 में यह स्पष्ट रूप से माना है कि मुकदमा नम्बर 144/2013 सुमित्रा बनाम अनिल कुमार वगैरह के निर्णय दिनांक 18.06.2015 के अनुसार अपीलान्ट का खसरा नम्बर 258 में बने कूप/चाह में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/3 हिस्सा है। मौका निरीक्षण की रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 258 में कूप/चाह बना हुआ है तथा इसी के साथ एक नवीन ट्यूबवेल बना हुआ है। इस स्थिति में विचारण न्यायालय को प्रकरण में तनकी बनाकर एवं वादी प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय दिया जाना था। अतः स्पष्ट है कि वाद वादी पोषणीय था। परन्तु विचारण न्यायालय ने फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर सरसरी तौर पर ही वादी का वाद पोषणीय नहीं मानते हुये खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईन्डिंग दी है कि कुआ व विद्युत कनेक्शन के संबंध में अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी यह फाईडिंग पूर्ण तया विधि एवं तथ्य की त्रुटि है, क्योंकि राजस्व न्यायालय द्वारा ही विवादित कुऐ में वादी का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया था तथा कृषि कार्य हेतु कुऐ का उपयोग करने का सुखाधिकार वादी को प्राप्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 एंव 92 ए किसी भी सुखाधिकार के लिये व्यादेश का वाद लाने का अधिकारी प्रदत करती हे। अतः स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वार विधि, प्रक्रिया व तथ्य तीनों की त्रुटि अपने निर्णय दिनांक 18.08.2022 में कारित की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद से भूमि खसरा नम्बर 258/4 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। खसरा नम्बर 258/4 में वादी का 1/3 हिस्सा है किन्तु मौका निरीक्षण में मौके पर कुआं बंद पाया गया है। मौके पर अवस्थित नवीन ट्यूबवेल खसरा नम्बर 258/3 में है। खसरा नम्बर 258/3 में वादी का कोई हक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

07.07.2022 को वास्ते जवाब दिनांक 12.09.2022 को नियत की गई थी। नियत तिथि से पूर्व ही विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.07.2022 को पत्रावली पेश में लेकर मौका रिपोर्ट तलब की। दिनांक 28.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई इसी दिन उभयपक्ष को सुनने हेतु 18.08.2022 नियत की गई। दिनांक 18.08.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कॉर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना में तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त किये बिना, विधिक प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर